

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

## -:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य./संस्था/एफ-1/12102(206)/सी.भ./प्रयोगशाला सहायक/2021-22/ दिनांक 17.05.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को आवंटित किए गए थे। जिसकी पालना में दिनांक 23.05.2023 को काउन्सलिंग शिविर का आयोजन किया गया।

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 17.05.2023 में नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये जाने की पालना में संलग्न सूची अनुसार **प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) (टी.एस.पी.)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल- 8 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 18500/- (अक्षरे अट्टारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं इस संबंध में तत्काल स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह

Signature valid

Digitally signed by Rahu Kumar  
Rajpurohit  
Designation : District Education Officer  
Date: 2023.05.23 20:19:08 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3894795



- नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियों की जावेगी।
  - परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
  - परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
  - नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलंगन दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर स्पष्ट टिप्पणी सहित स्थानीय कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
  - सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 14-06-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न :- आदेश सूची क्र.स. 01

(राहुल कुमार राजपुरोहित)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली  
दिनांक-23.05.2023

क्रमांक: जिशिअ/(मा.)मु/पाली/संस्था/प्रयोगशाला सहायक/2023/130  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- श्रीमान संयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली-मण्डल, पाली।
- शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त पाली।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि .....
- सम्बन्धित आशार्थी।
- रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahul Kumar  
Rajpurohit  
Designation : District Education Officer  
Date: 2023.05.23 20:19:08 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3894795



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली


जि.शिक्षा/मु./मा./पाली/संस्था/प्रयोगशाला सहायक/2023/130

दिनांक :- 23.05.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022  
में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश

## अनुसूचित क्षेत्र (TSP)

S. N.	MERIT NO.	NAME/FNAME	ADDRESS	DOB	CAT	H CAT	M/F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	4750	HITESHA PANDE/ BHAGWATI LAL PANDE	VILL UTHARDA POST UTHARDA TEH. SALUMBER DISTT UDAIPUR - UDAIPUR pincode 313706 Rajasthan	26-Jun-98	GEN - EWS	--	F	SEC_ GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUNDARA (221345)	BALI	
---	------	---	--	-----------	-----------------	----	---	-------------	--	------	---

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahu Kumar  
Rajpurohit  
Designation : District Education Officer  
Date: 2023.05.23 20:19:30 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3894803

